# कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमंडल दमोह (म0प्र0)

पता – कमला नेहरू कॉलेज के पास सिविल वार्ड नं.–4, जिला दमोह (म.प्र.) पिन : 470661

E-Mail :-dfotdmoh@mp.go.vin Phone :- 07812-222541 Fax -07812-227205


क्रमांक/मा.चि./2019/ 1365 दमोह,दिनांक 6-6-2019

प्रति,

मंडल अभियंता
ओ.एफ.सी. परियोजना
मंडल क्रमांक–2 जबलपु र
भारत संचार निगम लिमिटेड

**विषयः–** **जबलपुर से दमोह मार्ग SH-37 पर दमोह वन मंडल की सीमा तक अभ्यारण्य क्षेत्र एवं ईको सेसिटिव जोन क्षेत्र में राईट ऑफ वे के अंतर्गत (सड़क के किनारे–किनारे) ओ.एफ.सी. केविल लाईन डालने बावत्।**

संदर्भः–

1. म.प्र.शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/2182 दिनांक 12.09.2008.
2. आपका पत्र प्राप्ति दिनांक 05.05.2018, आपका पत्र दिनांक 30.05.2019.
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ–5/2018/निर्देश/10–11/48 दिनांक 06.01.2018.
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ–5/विविध/2018/10–11/725 दिनांक 12.03.2018
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ–11/2015/2637 दिनांक 28.10.2015.
6. मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र.भोपाल का पत्र क्रमांक/व.प्रा./माचि./13–5/5121 दिनांक 27.07.2018.
7. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र.भोपाल का पत्र क्र. 2815 दिनांक 28.12.2018.
8. मुख्य वन संरक्षक सागर वृत्त सागर का पत्र क्रमांक/माचि./3048 दिनांक 24.05.2019.

-------------000-------------

विषयांतर्गत आपके संदर्भित पत्र दिनांक 05.05.2018 द्वारा विषयांकित **जबलपुर से दमोह मार्ग SH-37 पर दमोह वन मंडल की सीमा तक अभ्यारण्य क्षेत्र एवं ईको सेसिटिव जोन क्षेत्र में राईट ऑफ वे के अंतर्गत (सड़क के किनारे–किनारे) ओ.एफ.सी. केविल लाईन डालने हेतु 0.8644 हे. वनभूमि उपयोगार्थ** हेतु प्रस्ताव क्रमांक ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र.भोपाल का पत्र क्र. 2815 दिनांक 28.12.2018 मे दिये गये निर्देशानुसार प्रस्ताव में वन मंडल द्वारा भाग–2 की पूर्ति उपरांत मुख्य वन संरक्षक सागर वृत्त सागर के संदर्भित पत्र दिनांक 24.05.2019 प्रस्ताव क्रमांक **FP/MP/OTHER/33340/2018** का ऑन–लाईन प्रस्तुतीकरण कर नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) के अनुमोदन उपरांत भाग–1 की हार्ड कॉपी 02–02 प्रतियों में प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव में वन मंडल द्वारा भाग–2 की पूर्ति उपरांत मुख्य वन संरक्षक सागर वृत्त सागर के संदर्भित पत्र दिनांक 24.05.2019 द्वारा अनुशंसा कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)सतपुड़ा भवन भोपाल के संदर्भित पत्र दिनांक 06.01.2018 एवं दिनांक 31.12.2018 में दिये गये निर्देशानुसार सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)सतपुड़ा भवन भोपाल के संदर्भित पत्र क्रमांक/एफ–5/2018/निर्देश/10–11/48 दिनांक 06.01.2018 एवं पत्र क्रमांक एफ–5/2018/ 10–11/4071 दिनांक 31.12.2018 में दिये गये निर्देशानुसार **जबलपुर से दमोह मार्ग SH-37 पर दमोह वन मंडल की सीमा तक अभ्यारण्य क्षेत्र एवं ईको सेसिटिव जोन क्षेत्र में राईट ऑफ वे के अंतर्गत (सड़क के किनारे–किनारे) ओ.एफ.सी. केविल लाईन डालन** में प्रभावित 1.00 हे. से कम **0.8644 हे.** वनभूमि व्यपवर्तन की **सैद्धांतिक अनुमति** निम्न शर्तो के अधीन जारी की जाती है।

1. स्वीकृति के अधीन **ओ.एफ.सी.लाईन** डलाने में प्रभावित होने वाली वनभूमि का विवरण निम्नानुसार है:–

| कमांक | परिक्षेत्र का नाम | वन कक्ष कमांक | प्रभावित वनभूमि | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | लम्बाई मी. | चौड़ाई मी. | क्षेत्रफल हे.मे. |
| 1 | Damoh | RF 109 | 3748 | 0.45 | 0.168 |
| 2 | Damoh | RF 108 | 10 | 0.45 | 0.0004 |
| 3 | Damoh | RF 260 | 1890 | 0.45 | 0.085 |
| 4 | Damoh | RF 259 | 980 | 0.45 | 0.044 |
| 5 | Damoh | RF 258 | 340 | 0.45 | 0.015 |
| 6 | Sagoni | RF 423, 424 | 5500 | 0.45 | 0.247 |
| 7 | Tejgarh | RF 306 | 1500 | 0.45 | 0.067 |
| 8 | Tejgarh | PF 35 | 700 | 0.45 | 0.031 |
| 9 | Tejgarh | PF 40 | 2000 | 0.45 | 0.090 |
| **Total** | | | **18000** | **0.45** | **0.7474** |
| वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य का ईको सेसिंटिव जोन परिक्षेत्र सिंग्रामपुर/तेजगढ़ | | | | | |
| S. No. | Range | Comp. No. | Length m. | Width m. | Area (h.) |
| 1 | Singrampur | PF 04, RF 311 | 1800 | 0.45 | 0.081 |
| 2 | Singrampur | PF 02 | 400 | 0.45 | 0.018 |
| 3 | Tejgarh | PF 64 | 400 | 0.45 | 0.018 |
| **Total** | | | **2600** | **0.45** | **0.117** |

2. म.प्र.शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश कमांक/एफ–5/16/200/10–3 दिनांक 12 सितम्बर 2008 के निर्देशानुसार **अंडरग्राउड ओ.एफ.सी.लाईन** के प्रकरणों में नेटप्रेजेट वैल्यू की राशि निम्नानुसार है:–

| कमांक | वन मंडल का नाम | अभ्यारण्य का नाम | मद | दर | केम्पा मद में जमा किये जाने वाली राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | दमोह | वीरागना दुर्गावती अभ्यारण्य के ईको सेसिटिव जोन सिंगौरगढ़ अंतर्गत | नेट प्रेजेंट वैल्यू की राशि रकवा 0.117 (केम्पा मद) (रकवे की 5 गुना राशि) | म.प्र.शासन वन विभाग के आदेश दिनांक 12.09.2008 में ईको वैल्यू श्रेणी–III के उष्ण कटीबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मध्यम घनत्व वन (0.5 से 0.7) के अनुसार 8.03 लाख | 469755.00 (चार लाख उनहत्तर हजार सात सौ पचपन) |

**नोट:– उक्त राशि केम्पा मद में जमा करने हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भोपाल से संपर्क स्थापित करने का कष्ट करें।**

3. सदिर्भत पत्र दिनांक 27.07.2018 में उल्लेखित ओ.एफ.सी. लाईन का उपयोग अभ्यारण्य सीमा में स्थित ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर संचार सुविधा उपलब्ध कराने हेतु किया जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14.09.2007 के परिपेक्षय में एवं राज्य शासन के पत्र कमांक/एफ–5–11/2006/10–3 दिनांक 31.05.2014 के अनुसार प्रोजेक्ट काष्ट की 5 प्रतिशत की राशि म.प्र.टाईगर फाऊडेशन सोसायटी के भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा टी.टी.नगर भोपाल निम्नानुसार जमा करें।

| कमांक | वन मंडल का नाम | अभ्यारण्य का नाम | मद | खाता कमांक | दर | केम्पा मद में जमा किये जाने वाली राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | दमोह | वीरागना दुर्गावती अभ्यारण्य के ईको सेसिटिव जोन सिंगौरगढ़ अंतर्गत | म.प्र.टाईगर फाऊडेशन सोसायटी | 10571048460 IFSC SBIN0001308 | प्रोजेक्ट काष्ट की 5 प्रतिशत की राशि (7200000.00 रूपये) | 360000.00 (तीन लाख साठ हजार रूपये) |

4. राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में यह स्वीकृति लागू नहीं होगी।
5. वन भूमि व्यवर्तन की स्वीकृति केवल वर्तमान में उपलब्ध मार्ग किनारे राइट ऑफ वे के तहत है, राइट ऑफ वे से तात्पर्य मार्ग के किनारे किनारे मार्ग सीमा के अन्दर आने वाले क्षेत्र से है।

6. वन भूमि पर भूमिगत आप्टीकल फाईवर केबिल/भूमिगत टेलीफोन लाइन केबिल बिछाने के लिए खोदी जाने वाली खंती का आकार **2 मीटर** गहरा तथा **0.45 मीटर** चौड़ाई से अधिक नहीं होगा। खोदे गये गढ़डों को आवेदक द्वारा पूरा जाकर समतल स्थिति में लाया जावेगा।

7. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होगा।

8. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जावेगा।

9. समतलीकरण का कार्य आवेदक/आवेदक संस्था के द्वारा स्वयं के व्यय पर खोदी गई निकाली गई मिट्‌टी से संबंधित वनाधिकारी की उपस्थिति में किया जाकर सूचना वन मंडल अधिकारी को आवेदक स्वयं लिखित में देगा।

10. समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्‌टी पत्थर की आवश्यकता हो तो वनक्षेत्र से उत्खनन् नहीं किया जावेगा।

11. खंती खोदते समय वृक्षों को हानि नहीं पहुँचाई जावेगी तथा खंती में आने वाले वृक्षों की जड़ों को नहीं काटा जाएगा।

12. यदि आवेदक/आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार के द्वारा वन या वन भूमि को किसी प्रकार की हानि पहुँचाई जाती है ,तो वन मण्डल अधिकारी द्वारा निर्धारित राशि आवेदक/आवेदक संस्थान से देय होगी।

13. सूर्यास्त के बाद उक्त कार्य नही किया जावेगा ।

14. इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि आपके द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र में ही कार्य किया जावेगा, अन्य वन क्षेत्रों में नहीं।

15. औचारिक स्वीकृति जारी दिनांक से मात्र **06 माह** की अवधि तक के लिये वैद्य होगी, इसके उपरांत स्वीकृति स्वमेव ही समाप्त हो जावेगी।

16. किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर यह अनुमति स्वतः समाप्त मानी जावेगी, एवं वन मंडल अधिकारी दमोह वन मंडल दमोह को तत्काल प्रभाव से कार्य बंद करने का पूर्ण अधिकार होगा।

17. आवेदक संस्था द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का पालन किया जावेगा।

18. म.प्र.शासन वन विभाग के आदेश कमांक एफ–5/16/2000/10–3 दिनांक 12 सितम्बर 2008 द्वारा अंडरग्राउड ऑप्टीकल फाईबर केवल लाईन को डालने के प्रकरणों में एन.पी.व्ही की राशि से छूट दी गई है। यदि भविष्य में भारत सरकार/राज्य शासन/प्रधान मुख्य वन संरक्षक म.प्र., द्वारा एन.पी.व्ही. जमा करने सहित अन्य कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो सभी शर्तें आवेदक संस्थान को मान्य होगी।

**यह अनुमति सैद्धांतिक रूप से जारी की गई है। आवेदक संस्थान द्वारा उपरोक्त शर्त कमांक 01 से 18 तक के पालन से संबंधित वचन पत्र एवं शर्त कमांक 02 एवं 03 के पालन हेतु केम्पा मद म.प्र.टाईगर फाऊडेशन सोसायटी में जमा की गई राशि की जानकारी इस कार्यालय में प्रस्तुत करने के पश्चात् कार्य संम्पादन हेतु औपचारिक स्वीकृति, प्रदान की जावेगी। वचन पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत औपचारिक स्वीकृति जारी होने के फलस्वरूप ही कार्य प्रारंभ किया जायेगा।** तत्पश्चात् आवेदक संस्थान संबंधित परिक्षेत्राधिकारी को सूचित कर मौके पर कार्य प्रारंभ कर सकेगे।

**वन मंडलाधिकारी**
**सामान्य वन मण्डल,दमोह (म.प्र.)**

**पृ.क्रमांक/मावि./2019/** 1366
**दमोह, दिनांक** 6-6-2019

**प्रतिलिपि :–**

1. मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र.भोपाल की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र.भोपाल को सूचनार्थ संप्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक सागर वृत्त सागर को सूचनार्थ संप्रेषित।
4. कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) दमोह की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर लेख है कि विषयांकित ओ.एफ.सी.लाईन बिछाने की अनुमति आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार वन विभाग के अधिपत्य में आने वाली वनभूमि के लिए ही जारी की जा रही है। उक्त अनुमति में राजस्व विभाग के अधीन छोटे झाड़/बडे झाड़ के जंगल मद की भूमि तथा अन्य भूमियॉ सम्मिलित नहीं है। यदि आवेदक संस्था द्वारा राजस्व विभाग के अधीन छोटे झाड़/बडे झाड़ के जंगल मद की भूमि में खुदाई की जाती है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये वन मंडल कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करे, ताकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत विधिवत् कार्यवाही की जा सके।
5. उप वन मंडल अधिकारी **दमोह/तेन्दूखेड़ा** को सूचनार्थ अग्रेषित।
6. परिक्षेत्र अधिकारी **दमोह/सिंग्रामपुर/सगोनी/तेजगढ/सिंगौरगढ़** की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। ध्यान रहे बिना औपचारिक स्वीकृति के वनक्षेत्र में कोई भी गैरवानकी कार्य न होने पावे।

**वन मंडलाधिकारी**
**सामान्य वन मण्डल,दमोह (म.प्र.)**